



शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में अवन्तीवाई चौराहे से रौहता तक (आगरा-ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) कि०मी० 0.000 से 7.000 तक मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित रिटेल आउट लेट के सम्पर्क मार्ग के सौन्दर्यीकरण में गैरवानिकी उपयोग हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उसका भुगतान अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1 (ता०ट्रि०), लो०नि०वि०, आगरा द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।

प्रतिज्ञानाधारित


प्रभाग्य निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा (ए)
(अनीष मिश्रा)


(अनंद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1 (ता०ट्रि०) लो०नि०वि०
आगरा